न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–111/2024

प्रार्थीगणः–

1. वगताराम उर्फ वगतावरसिंह पुत्र मगनाराम उर्फ मनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी राणीदेशीपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. मंगला उर्फ मंगलाराम पुत्र मगनाराम उर्फ मगनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी रानीदेशीपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 18-08-2025

प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 117, 1, 633/119, 483/441, 584/441, 440 व 54 रकबा क्रमशः 13.629, 6.3697, 2.6326, 0.0809, 15.280, 0.445 व 7.9561 हैक्टेयर भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी में तथा खसरा संख्या 32 रकबा 1.3592 हैक्टेयर ग्राम भानवास तहसील समदडी अवस्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है फौतगी नामान्तरकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण का नाम वगता,मंगला पि. मंगना दर्ज कर दिया प्रार्थीगण के अन्य समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में वगतावरसिंह एवं मंगलाराम दर्ज होने के उपरान्त भी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम वगता व मंगला तथा प्रार्थीगण के पिता का नाम मंगना दर्ज कर दर्ज किया गया, प्रार्थी राजपुरोहित जाति से है ,जिनके सरनेम के तौर पर सिंह लगाया जाता है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थीगण का नाम " वगता व मंगला पिता मंगना " लिख दिया तथा खसरा संख्या 01 में प्रार्थीगण की जाति राजपुरोहित के स्थान पर कलबी दर्ज कर दी गई । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी के पत्र क्रमांक म.अ./2024/[illegible] दिनांक 24.10.2024 द्वारा प्रार्थीगण के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्र[illegible] की गई ।

प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज आधारकार्ड, व राशनकार्ड पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी गणअधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम "वगतसिंह,मंगलाराम पुत्र मगनाराम " है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 117, 1, 633/119, 483/441, 584/441, 440 व 54 रकबा क्रमशः 13.629, 6.3697, 2.6326, 0.0809, 15.280, 0.445 व 7.9561 हैक्टेयर भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी में तथा खसरा संख्या 32 रकबा 1.3592 हैक्टेयर ग्राम भानवास तहसील समदडी भूमि में प्रार्थीगण का नाम "वगता व मंगला पि. मगनाराम" तथा ग्राम रानीदेशीपुरा के खसरा संख्या 01 में प्रार्थीगण के जाति "राजपुरोहित" के स्थान पर "कलबी" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड व जनआधार कार्ड, आदि दस्तावेजात में प्रार्थीगण का नाम "वगतावरसिंह व मंगलाराम पुत्र मगनसिंह" की तस्दीक होती है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थीगण का नाम "वगता व मंगला पुत्र मगनाराम" तथा ग्राम रानीदेशीपुरा के खसरा संख्या 1 में प्रार्थीगण की जाति "राजपुरोहित" के स्थान पर "कलबी" दर्ज किये जाने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का नाम व ग्राम रानीदेशीपुरा के खसरा संख्या 1 के राजस्व रिकार्ड में जाति कलबी के स्थान पर राजपुरोहित दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 117, 1, 633/119, 483/441, 584/441, 440 व 54 रकबा क्रमशः 13.629, 6.3697, 2.6326, 0.0809, 15.280, 0.445 व 7.9561 हैक्टेयर भूमि ग्राम रानीदेशीपुरा तहसील समदडी में तथा खसरा संख्या 32 रकबा 1.3592 हैक्टेयर ग्राम भानवास तहसील समदडी भूमि में प्रार्थीगण का नाम "वगता व मंगला पुत्र मगनाराम" तथा खसरा संख्या 01 में प्रार्थीगण के जाति कलबी के स्थान पर वगताराम उर्फ वगतावरसिंह पुत्र मगनाराम उर्फ मगनसिंह व मंगला उर्फ मंगलाराम पुत्र मगनाराम उर्फ मगनसिंह" तथा ग्राम रानीदेशीपुरा के खसरा संख्या 1 में दर्ज प्रार्थीगण की जाति कलबी के स्थान पर " राजपुरोहित" दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18-08-2025 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)